प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

132 - जैसलमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री छोटूसिंह

175, नयावास, अमरसागर, तहसील एवं जिला जैसलमेर

जो भारतीय जनता पार्टी

(मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक

पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जैसलमेर

दिनांक :- 03-12-2023

18 (EN 18) ST (EN

(जगदीश सिंह आशिया) रिट्टरिंग अधिकारी 132 - विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर (जगदीस सिंह आशिया) रिट्टारिंग अधिकारी (एस.डी.एम.) रिट्टारिंग अधिकारी (एस.डी.एम.)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 132- JAISALMER Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri CHHOTUSINGH

175, NAYAVAS, AMARSAGAR, TEH. & DIST. JAISALMER

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- JAISALMER

Dated: - 03-12-2023

(JAGDISH SINGH ASHIYA) RETURNING OFFICER 132-JAISALMER

LEGISLATIVE ASSEMBLY CONSTITUENCY

(Jagdish Singh Ashiya) Returing Officer (S.D.M.) AC - 132 JAISALMER